भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1706

उत्तर देने की तारीख : 13.12.2021

कोविड-19 महामारी के कारण नौकरियों का नुकसान

1706. श्री नीरज डांगी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्षेत्र-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है**;

(ख) कोविड-19 महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र में कुल कितनी नौकरियों का नुकसान हुआ;

(ग) 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा घोषित किए गए आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत कितने एमएसएमई ने ऋण प्राप्त किया है;

(घ) 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के अंतर्गत क्षेत्र-वार संस्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार की एमएसएमई क्षेत्र में उपक्रमों को ऋण चुकौती पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण-स्थगन का विस्तार करने की योजना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों पर एनएसएस रिपोर्ट के 73वें दौर (जुलाई, 2015-जून, 2016) के अनुसार, अखिल भारत में एमएसएमई की अनुमानित संख्या 6.34 करोड़ थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमएसएमई की संख्या अनुबंध पर दी गई है।

(ख): कोविड-19 महामारी ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं उनके रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। चूंकि एमएसएमई औपचारिक और अनोपचारिक दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं, एमएसएमई क्षेत्र में अस्थायी और स्थायी रोजगार में नुकसान से संबंधित आंकड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) से (घ) : सरकार ने देश में एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण।

ii) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण (ईसीएलजीएस के तहत मौजूदा समग्र गारंटी सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है)।

iii) एमएसएमई निधियों की निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।

iv) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

v) व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नए रूप में पंजीकरण।

vi) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे एमएसएमई को सहायता मिलेगी।

vii) जैसा कि एनसीजीटीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ईसीएलजीएस के तहत दिनांक 12.11.2021 तक 2.82 लाख करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है जिसमें से अभी तक एमएलआई को 2.62 लाख करोड़ रुपए की अंतिम गारंटियां जारी की गई हैं, जिससे 1.15 करोड़ ऋणकर्त्ताओं लाभांवित हुए हैं।

दिनांक 12.11.2021 के अनुसार ईसीएलजीएस का संक्षिप्त कार्य निष्पादन नीचे दिया गया हे:

ऋणकर्त्ता का प्रकार	गारंटी (संख्या में)	गारंटियां (राशि करोड़ में)
सूक्ष्म उद्यम	1,02,96,333	65,771.05
लघु उद्यम	4,98,509	66,349.63
मध्यम उद्यम	2,60,757	42,041.38
अन्य व्यावसायिक उद्यम	5,37,069	88,828.99
कुल	1,15,92,668	2,62,991

(ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 नियामक पैकेज पर दिनांक 27.03.2020 और 25.05.2020 के परिपत्रों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी ऋणप्रदाता संस्थाओं को दिनांक 01.03.2020 तक बकाया सावधि ऋण के संबंध में दिनांक 01.03.2020 और 31.08.2020 के बीच पड़ने वाली ईएमआई सहित सभी किश्तों के भुगतान पर छह माह के अधिस्थगन देने की अनुमति प्रदान की है। उक्त परिपत्र अधिस्थगन का लाभ उठने के लिए व्यक्ति विशेषों की आय के संबंध में कोई शर्त या मानदंड निर्धारित नहीं करते हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1706 जिसका उत्तर दिनांक 13.12.2021 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की अनुमानित संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3386983
2	अरूणाचल प्रदेश	22733
3	असम	1214042
4	बिहार	3445562
5	छत्तीसगढ़	848128
6	दिल्ली	936186
7	गोवा	70261
8	गुजरात	3316401
9	हरियाणा	969697
10	हिमाचल प्रदेश	392078
11	जम्मू और कश्मीर	708880
12	झारखंड	1587870
13	कर्नाटक	3834000
14	केरल	2379392
15	मध्य प्रदेश	2673933
16	महाराष्ट्र	4777571
17	मणिपुर	180131
18	मेघालय	112281
19	मिजोरम	34933
20	नागालैंड	91163
21	ओडिशा	1984427
22	पंजाब	1465013
23	राजस्थान	2686664
24	सिक्किम	26099
25	तमिलनाडु	4947620
26	तेलंगाना	2604569
27	त्रिपुरा	210831
28	उत्तर प्रदेश	8999485
29	उत्तराखंड	416629
30	पश्चिम बंगाल	8867437
31	अंडमान और निकोबार द्वीप	19206
32	चंडीगढ़	56447
33	दादरा और नगर हवेली	15586
34	दमन और दीव	7714
35	लक्षद्वीप	1875
36	पुडुचेरी	95843
	कुल	**6,33,87,670**